**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर**
**(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)**

दूरभाष: 0771 – 2552233 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–442/2472 रायपुर, दिनांक 11 /08/2017

**प्रति,**

**मुख्य वन संरक्षक**
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषयः– **वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत ईस्ट वेस्ट रेल कॉरीडोर 122 कि. के लिए वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबद।**
– **पंजीयन क्रमांक FP/CG/Rail/ 6817/2014**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्र/ तक/1761 दिनांक 25.07.2017

=0=

आवेदनकर्ता, मुख्य कार्य परिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट – वेस्ट रेल कॉरीडार रायपुर द्वारा कोरबा एवं बिलासपुर जिले के कटघोरा एवं मरवाही वन मंडल में कुल 459.523 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव संदर्भित पत्र से प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण नोडल कार्यालय द्वारा किया गया। इसमें निम्न कमियां पाई गई हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा हस्ताक्षरित Form -A, Part- III (online) वेब पर अपलोड नहीं किया गया है।
2. Form -A, Part- I की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
3. मुख्य वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित Time Line प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव की पेजिंग त्रुटिपूर्ण है।
5. प्रस्ताव में भाग – 3 में मुख्य वन संरक्षक का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।
6. भारत सरकार के निर्देश दिनांक 01.08.2017 के अनुसार Cost Benefit Analysis नयी गाइडलाईन के अनुसार करते हुए पुनरीक्षित करें।
7. कलेक्टर कोरबा द्वारा का FRA प्रमाण पत्र 27.698 हे. वन भूमि एवं 354.601 हे. राजस्व वन भूमि का प्रमाण पत्र दिया गया है जबकि राजस्व वन भूमि का रकबा 382.344 हे. है। इस प्रकार 0.045 हे. कम राजस्व वन भूमि का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
8. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत जानकारी जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है तथा जो पोर्टल में online प्रस्तुत किया गया है उनमें अंतर है। प्रस्ताव में वन मंडलाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव बिना किसी त्रुटि के प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रस्ताव मूलतः वापस किया जाता है।

**संलग्नः–** प्रस्ताव 4 प्रतियों में

**(उप वन संरक्षक)**
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–442/2473 रायपुर, दिनांक 11/08/2017

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः**

1. **कलेक्टर** – जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
– FRA प्रमाण पत्र **www.forestclearances.nic.in** पर अपलोड तत्काल करने का कष्ट करें।
2. **वन मंडलाधिकारी** – मरवाही एवं कटघोरा वन मंडल, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य कार्य परिचालन अधिकारी,** छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमि. CSIDC कॉम्लेक्स, महादेव घाट रोड रायपुर, छत्तीसगढ़

**(उप वन संरक्षक)**
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ